मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र/1061/1694/2008/26-2 भोपाल,दिनांक 07 अक्टूबर 2008

प्रति,

1. कलेक्टर,
समस्त जिले म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
समस्त जिला पंचायत, म.प्र.।
3. संयुक्त संचालक/उप संचालक,
समस्त जिला कार्यालय सामाजिक न्याय,म.प्र.।
4. परियोजना अधिकारी,
समस्त शहरी विकास प्राधिकरण,म.प्र.।
5. आयुक्त,
समस्त नगर निगम, म.प्र.।
6. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत म.प्र.
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
समस्त जनपद पंचायत,म.प्र.।

विषयः— जनश्री बीमा योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन।

—0—

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनेवाले शहरी एवं ग्रामीण लोग जो मध्यप्रदेश शासन की अन्य योजना यथा आम आदमी बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में सम्मिलित नहीं है उनके लिये जनश्री बीमा योजना प्रारम्भ की जा रही है। जनश्री बीमा योजना में सम्मिलित व्यक्तियों की बीमा संरक्षण अवधि दिनांक 7—10—08 से दिनांक 6—10—09 तक होगी।

जनश्री बीमा योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय विभाग को राज्य स्तर पर नोडल विभाग तथा जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

<u>हितग्राहियों के लिये निर्धारित मापदण्ड</u>

1. केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी तथा ग्रमीण लोग जो इस योजनान्तर्गत बीमित सदस्य है तथा शासन द्वारा संचालित/वित्त पोषित बीमा योजना का लाभ प्राप्त न कर रहा हो।

2. हितग्राही की आयु 18 से 59 वर्ष तक होगी।
3. परिवार का मुखिया यथा परिवार में कार्य करते हुये आय कमाने वाला सदस्य होना चाहिये।

आयु हेतु प्रमाणपत्र

हितग्राही की आयु के प्रमाण हेतु निम्नवत प्रमाण पत्र/कागजातों में से कोई भी एक प्रमाण मान्य होगा।

1. राशन कार्ड।
2. जन्म प्रमाण पत्र।
3. शाला प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो।
4. मतदाता परिचय पत्र।
5. परिचय पत्र/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जाब कार्ड।

हितग्राही को प्राप्त होनेवाले लाभ

जनश्री बीमा योजना में सम्मिलित व्यक्ति को वह सभी लाभ प्राप्त हो सकेंगे जो आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त होते है जो कि निम्नानुसार है :–

(i) योजनान्तर्गत बीमित सदस्य की सामान्य मृत्यु होने, दुर्घटना के कारण मृत्यु होने, दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर लाभ का प्रावधान है।

(ii) योजनांतर्गत बीमित व्यक्ति को एक मुश्त निम्नानुसार राशि दी जावेगी–

1. सामान्य मृत्यु होने पर	–	रु0 30,000/– (रुपये तीस हजार केवल)
2. दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा स्थायी रुप से पूर्ण अपंगता होने पर	–	रु0 75,000/– (रुपये पचहत्तर हजार केवल)
3. दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या एक पांव अक्षम होने पर	–	रु0 37,500/– (रु0 सैतीस हजार पाँच सौ केवल)

दुर्घटना का तात्पर्य– वाहन दुर्घटना जैसे रेल, बस या अन्य कोई भी वाहन, रासायनिक दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, सर्पदंश, जहरीले प्राणी/कीड़े द्वारा दंश, डूबकर मृत्यु खदान में काम करते वक्त मृत्यु फैक्टरी में काम करते समय दुर्घटनावश मृत्यु।

(iii) योजना केतहत बीमित सदस्यों के बच्चों के लिए एक मुश्त एड–ऑन शिक्षावृत्ति लाभ दिया जायेगा। इसमें 9वीं से 12वीं कक्षा के अध्ययनरत केवल दो विद्यार्थी प्रति परिवार को प्रतिमाह रु0 100/– की शिक्षावृत्ति दी जायेगी

दावा हेतु प्रक्रिया

जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत दावा हेतु योजनान्तर्गत निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित दावा आवेदन पत्र का प्रारुप ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत तथा नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम से प्राप्त किये जा सकेंगे। संबंधित जनपद पंचायत तथा नगरी निकाय परीक्षण उपरान्त भारतीय जीवन बीमा निगम के मण्डल प्रबंधक भोपाल को उनके कार्यालय भारतीय जीवन बीमा निगम, 60–ए "जीवन प्रकाश" अरेरा हिल्स भोपाल 462011 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

दावा प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी

दावा प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा संबंयधित नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी/आयुक्त होंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित आवेदनों में स्वीकृति हेतु सतत प्रयास करेंगे।

हितग्राहियों की पहचान

राज्य शासन ग्राम पंचायत/नगरी निकाय की सलाह एवं सहयोग से इस योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले व्यक्तियों की पहचान करेगा। ऐसे सभी पहचान किये गये व्यक्तियों की संख्या के अनुसार जीवन बीमा निगम यूनिक आईडेंटिटी कार्ड/परिचय पत्र जिला स्तरीय नोडल एजेन्सी उपलब्ध करायेगी।

पूर्णरुपेण स्थायी विगलांगता का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया

आवेदन को दुर्घटना/अपघात/घटना घटित होने संबंधी डाक्यूमेंट्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही सिविल सर्जन या क्वालिफाईड शासकीय अस्थिरोग शल्य चिकित्सक या आंशिक विकलांगता दुर्घटना/अपघात से होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

योजना की निरंतरता

जनश्री बीमा योजना केवल तब तक चालू रहेगी जब तक राज्य शासन तथा भारतीय जीवन बीमा निगम इसे चालू रखती हो।

निर्धारित आवेदन पत्र, तथा योजना के क्रियान्वयन के आवश्यक अन्य निर्देश शीघ्र ही आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा भेजे जावेंगे।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग

2

पृ० क्र./1062/1694/08/26-2 भोपाल,दिनांक 07 अक्टूबर 2008

प्रतिलिपि –

1. निज सचिव माननीय मंत्री सामाजिक न्याय विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव माननीय मंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
5. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
6. आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त संभागीय आयुक्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
8. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. .भोपाल की ओर प्रेषित। कृपया नगरीय क्षेत्रों में गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों की सूची की हार्डकापी/सी0डी0 अपने जिले के संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग को उपलब्ध कराने हेतु सभी परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण तथा आयुक्त, नगर निगम को निर्देश देने का कष्ट करें ।
9. श्री शिवेन्द्र कुमार मण्डल प्रबंध पेंशन एवं समूह बीमा इकाई भारतीय जीवन बीमा निगम, 60–ए "जीवन प्रकाश" अरेरा हिल्स भोपाल 462011 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग